

कार्यालय आख्या एस-06

उभयपक्ष को सूचित किया जाता है कि दिनांक-23.12.2025 में सूचीबद्धवादों की सुनवाई मा0 राज्य सूचना आयुक्त महोदय के आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण दिनांक-23.12.2025 के स्थान पर दिनांक-17.02.2026 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा0, राज्य सूचना आयुक्त,



पेशकार एस-6